



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुलग्नक

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में उल्लिखित।

1. (क) कंपनी ने रोटेबल्स को छोड़कर, स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरण एवं उनके स्थान सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड रखे हैं। कंपनी ने कुछ स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अभी तक अपडेट नहीं किया है तथा हमें सूचित किया गया है कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है। कुछ स्थानों पर एयरक्राफ्ट रोटेबल्स तथा अन्य परिसंपत्तियों के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का मिलान वित्तीय रिकॉर्डों के साथ किया जा रहा है।
(ख) कंपनी बारी-बारी से स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन हो जाता है जोकि हमारी राय में पर्याप्त है। वर्ष के दौरान प्रबंधन ने कुछ स्थानों पर ही प्रत्यक्ष सत्यापन कराया है। वित्तीय रिकॉर्डों तथा प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों के बीच पूर्ण मिलान न होने के कारण हम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि तो नहीं है।
(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, गोडिंग कन्सर्न मान्यता के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।
2. (क) कंपनी में निरंतर आधार पर दो वर्षों में कम से कम एक बार इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की कार्यप्रणाली है।
(ख) प्रबंधन द्वारा निरंतर आधार पर इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्यप्रणाली उपयुक्त है। तथापि, कंपनी के आकार एवं उसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए, इसकी फिक्सेंसी को बढ़ाया जाना चाहिए। कंपनी ने बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इन्वेंटरी के संबंध में पुष्टि/प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए हैं।
(ग) इन्वेंटरी रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी इन्वेंटरी का उचित रिकॉर्ड रख रही है सिवाए, कुछ क्षेत्रों एवं स्टेशनों के जहां ई.आर.पी. पैकेज से सभावित परिणाम पाने के लिए प्रशिक्षण की कमी है तथा जहां क्षेत्रों एवं स्टेशनों में लोगों को प्रचालन कार्यों में लगाकर (जहां वास्तविक लेन-देन होता है) आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्राप्तियों, इश्यु, स्टॉक से संबंधित अपेक्षित इन्पुट्स की अनुपलब्धता के कारण लेखा परीक्षा का कार्य सीमित हुआ है।
बही रिकॉर्डों की तुलना में इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर पाई गई त्रुटियों को संबंधित विभाग से छानबीन करने के उपरांत लेखा खातों में उचित रूप में दिखाया गया है।
3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार के रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं।
(ख) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा दिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना चूंकि कंपनी के हितों में नहीं होगा अतः मूल एवं ब्याज की नियमित रूप से प्राप्ति तथा मूल एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाए गए उचित कदम जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।
(ग) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से किसी प्रकार के रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं लिए हैं।
(घ) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा लिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना कंपनी के हित में नहीं है तथा मूल व ब्याज का नियमित रूप से भुगतान जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।
4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केवल प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रीकृत रूप से किए जाने वाले अत्यधिक लेखांकन कार्यों के संबंध में सम्पूर्ण नियंत्रण (क्षेत्रों तथा स्टेशन स्तर पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता पर हमारी टिप्पणी किए बगैर) को छोड़कर इन्वेंटरी, स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद एवं माल एवं सेवाओं के विक्रय के लिए आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली कंपनी के आकार एवं इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त है। कंपनी, इन्वेंटरी, फुटकर देनदार, स्टाफ अग्रिमों एवं कुछ मध्यस्थ लेखों आदि के संबंध में उप लेजरों का सामान्य लेजर से मिलान कर रही है।
5. (क) हमारे द्वारा उपयोग की गई लेखा के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 में उल्लिखित कॉन्ट्रैक्ट एवं समझौतों का ऐसा कोई विवरण नहीं है जिसकी इस धारा के तहत बनाए गए अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है।
(ख) अतः इस तथ्य पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट अथवा समझौतों के अनुसरण में किए गए लेन-देन बाजार में प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में उचित मूल्यों पर किए गए हैं।
6. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक या इस अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान अथवा तदनुसार बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।



7. हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के आकर तथा कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष के दौरान किए गए अत्यधिक प्रचालनों के संबंध में बहुत कम आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है। समय पर निष्पादन, रिपोर्ट करने, अनुपालन, प्रमुख ऑन लाइन स्टेशनों तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय तक कार्यक्षेत्र में विस्तार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने तथा मुख्यालय में समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए इसको आगे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
8. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा खातों की हमारी जांच के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के समक्ष जमा कराए हैं, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :
- विदेशी स्टेशनों के संबंध में चूंकि रिकार्डों को स्टेशनों में रखा जाता है अतः हम इस विषय में टिप्पणी देने में असमर्थ हैं कि देयों को समय पर जमा कराया जाता है अथवा नहीं।
 - पंजीकरण संख्या न होने के कारण कॉन्ट्रैक्टरों/सब कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के कुल 37.6 मिलियन रूपए के भविष्य निधि देय को अलग बैंक खाते में रखा गया है।
 - कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से स्रोत पर कर कटौती करती है तथा इसे जमा करती है। तथापि, कंपनी ने कुछ स्थानों पर वर्ष के अंत में देय स्रोत पर कर कटौती का मिलान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में किए गए कुछ प्रावधानों पर कर की कटौती नहीं की है।
 - कंपनी वसूली योग्य सेवा कर एवं देय सेवा कर का समायोजन कर रही है।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिलान न किए जाने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 31 मार्च, 2010 को उपर्युक्त के संबंध में अन्य किन्हीं अविवादित देयों का भुगतान किया जाना शेष है जो देय तिथि से छः माह की अवधि से अधिक समय से बकाया हों।

- (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण विक्रय कर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क अथवा उपकर का देय बकाया नहीं है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है :

अधिनियम का नाम	राशि (मिलियन रूपए में)	देयों का प्रकार एवं न्यायालय जहां विवाद लंबित है।
आयकर अधिनियम, 1961	1,243.3	कंपनी द्वारा प्राप्त की जाने वाली मांग अधिसूचनाएं जो अपील के तहत हैं।
सीमा शुल्क तथा सेवा कर	559.4	कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाने वाला सीमा शुल्क एवं सेवा कर
नगर निगम कर / गृह कर	140.2	नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा जाने वाला संपत्ति कर / गृह कर

10. यद्यपि समामेलित कंपनी को अस्तित्व में आए अभी पांच वर्ष नहीं बीते हैं और संघित हानि कंपनी के निवल लाभ से अधिक हो गई है तथा वर्तमान तथा विगत एवं चालू वित्तीय वर्षों में नकद हानि हुई है। तथापि, कंपनी के लेखे गेईंग कन्सर्न आधार पर इस अनुमान से तैयार किए गए हैं कि सरकार अभी और शेयर पूंजी प्रदान करेगी।
11. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के देयों का भुगतान में चूक नहीं हुई है।
12. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी ने शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूति को गिरवी रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम नहीं दिए हैं।
13. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के कार्य की प्रकृति के कारण कंपनी पर चिट फंड एवं निधि/परस्पर लाभ निधि/ समितियों पर लागू कोई विशेष अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
14. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है।



15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनी के लिए बैंकों से ऋण पर गारंटी दी है। इस गारंटी की शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।
16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋणों को जिन उद्देश्यों के लिए लिया गया था उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया गया है।
17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी के तुलन पत्र एवं कैश फ्लो की संपूर्ण समीक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कार्यशील पूंजी के लिए, लिए गए अल्पकालिक ऋणों में से विमान की खरीद पर पूर्व डिलीवरी भुगतान की फाइनेंसिंग (यानि दीर्घकालीन उद्देश्यों) के लिए 1,446.0 मिलियन रुपए की राशि का उपयोग किया गया।
18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित पार्टियों अथवा कंपनियों को शेयरों का कोई प्रीफरेंशियल आबंटन नहीं किया है।
19. कंपनी ने दिनांक 26 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा गारंटी दिए गए 7,000.0 मिलियन रुपए के लिए प्रति 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य (फेस वेल्यू) वाले 7000 अरक्षित, रीडिमेबल, अपरिवर्तनीय डिबेन्चर जारी किए हैं।
20. कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धनराशि एकत्रित नहीं की।
21. निष्पादित की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि एक विदेशी स्टेशन पर घोखाघड़ी हुई है तथा उपयोग किए गए उड़ान कूपनों जिनकी बिक्री की रिपोर्ट नहीं की गई, में 87.1 मिलियन रुपए की अनुमानित राशि सम्मिलित है।

कृते तथा की ओर से
पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

हस्ता./-
पी.के. चोपड़ा
पार्टनर
सदस्यता सं. 6094

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 नवम्बर, 2010

कृते तथा की ओर से
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

हस्ता./-
वी. राजारमन
पार्टनर
सदस्यता सं. 02705

कृते तथा की ओर से
छजोद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

हस्ता./-
किरण के. दपत्तरी
पार्टनर
सदस्यता सं. 10279



वर्ष 2009-10 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
04.	<p>हम आगे निम्नानुसार सूचित करते हैं :</p> <p>i. जैसाकि अनुसूची X की टिप्पणी संख्या 9 में उल्लिखित किया गया है कि गत वर्ष कंपनी द्वारा अर्जित किए गए नए विमान बेड़े के बोइंग बी 777/787 तथा एयरबस ए-319/320/ 321 विमानों का उपयोगी जीवनकाल कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में उल्लिखित 16.96 वर्षों के स्थान पर 20 वर्ष अनुमानित किया गया है, जिसके लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के तहत निगमित कार्य मंत्रालय से अनुमोदन मांगा है। इसके कारण परिसंपत्तियों का अनुमानित जीवनकाल अधिक दर्शाया गया है जिससे वर्ष के लिए 1,411.0 मिलियन रुपये तक मूल्यहास कम दर्शाया गया है। वर्ष के लिए 1,411.0 मिलियन रुपये तक की हानि कम दर्शायी गयी है तथा पिछले वर्ष 1,170.3 मिलियन रुपये तक की राशि की हानि तथा 2,581.3 मिलियन रुपये तक की संचित हानि कम दर्शायी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियां भी 2,581.3 मिलियन रुपये तक अधिक दर्शायी गयी है।</p> <p>ii. वर्ष के लिए कंपनी ने किसी भी आस्थगित कर परिसंपत्ति को लेखे में नहीं लिया है क्योंकि इसमें भविष्य की कर योग्य लाभ की कोई वास्तविक निश्चितता नहीं है। इसी कारण पिछले वर्षों में लेखे में लिए गए 28,425.2 मिलियन रुपये की राशि की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भी लेखों में न लेकर बट्टे खाते में डाला जाना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप, 28,425.2 मिलियन रुपये तक की संचित हानि कम दर्शायी गई तथा इसी सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया।</p>	<p>लेखा मानक 6 (एस 6) के अनुसार कंपनी को परिसंपत्तियों की उपयोगी/लाभकारी आयु का निर्धारण करने का हक है तथा यदि वह कंपनी अधिनियम की निर्धारित अवधि से अधिक है तो कंपनी उसका चयन कर सकती है। बोइंग 777 तथा एयरबस 320 के विमान बेड़े में नए तथा अत्याधुनिक तकनीक वाले विमान हैं तथा तदनुसार कंपनी में इन विमानों की लाभकारी आयु 20 वर्ष मानी है। दोनों विमान निर्माताओं एयरबस तथा बोइंग द्वारा जारी डिजाइन सर्विस ओबजेक्टिव (डी एस ओ) के अनुसार यदि शेड्यूल के अनुसार अनुरक्षण कार्य करवाए जाते रहें तो विमान की उड़ान योग्यता तीस वर्ष होगी। इन विमानों पर मूल्यहास प्रभारित करने की दर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दर से कम है। नए विमान बेड़े में स्ट्रेट लाइन आधार पर मूल्यहास की दर तदनुसार 4.75 प्रतिशत होगी (लागत का 95 प्रतिशत 20 वर्षों से परिशोधित किया जा रहा है। कंपनी ने विमान की 20 वर्षों की लाभकारी आयु को ध्यान में रखते हुए बी 777 तथा ए 320 परिवार के विमान बेड़े पर मूल्यहास की कम दर प्रभारित करने के लिए निगमित कार्य मंत्रालय को आवेदन किया है तथा वित्तीय विवरण में इसका उचित खुलासा किया गया है। आईएफआरएस के तहत, प्रबंधन को परिसंपत्ति की लागत परिशोधित करने के उद्देश्य से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन का स्वनिर्णय के आधार पर निर्धारित करने का अधिकार होगा। आईसीएआई ने हाल ही में मूल्यहास लेखांकन से संबंधित अनुसूची XIV के तहत जारी खुलासा मसौदे पर टिप्पणियां भी मांगी हैं।</p> <p>कंपनी ने विमान उद्योग में वर्ष 2008 एवं 2009 में हो रहे घाटे को देखते हुए आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) के निर्धारण के संबंध में विमान उद्योग के लिए एक रूप नीति लागू करने के उद्देश्य से आस्थगित कर परिसंपत्ति के निर्धारण संबंधी मामले को राष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड को भेजने के लिए जून, 2009 में नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया था। वर्ष 2007-08 के लेखों में नैसिल द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्ति को तैयार करने के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा तय की गई राय के आधार पर यह निवेदन किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय ने यह मामला निगमित कार्य मंत्रालय को भेज दिया जिन्होंने तत्पश्चात् यह मामला आईसीएआई विशेषज्ञ परामर्श समिति को भेज दिया। आईसीएआई ने कहा कि किसी भी सहायक प्रमाण की अनुपस्थिति में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। (जैसाकि ए एस-22) में यह दिया गया है) कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे 31 मार्च, 2008 के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति वसूल की जा सकती है। तथापि यह राय नैसिल को दी गई थी न कि उद्योग को।</p> <p>कंपनी ने वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2009-10 में अपने प्रचालनात्मक निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार देखा है। वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 की पहली छमाही निष्पादन में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है। अतः पुराने सिद्धांतों के आधार पर कंपनी ने व्यापार हानि एवं मूल्यहास को आगे के खातों में दर्शाने के बावजूद वर्ष के लिए किसी प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति का निर्धारण नहीं किया है। कंपनी ने एक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी अपनायी है जिसकी सतत् मॉनीटरिंग सचिवों की समिति,</p>



क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	<p>iii. लेखांकन नीति संख्या च (क), के अनुसार कुछ विमानों को खरीदते समय विमान निर्माताओं द्वारा हैंडलिंग, सर्विसिंग तथा आकस्मिक राजस्व के लिए 1630.5 मिलियन रुपये का क्रेडिट किया गया था जिसका उपयोग कंपनी द्वारा क्ल पुर्जें खरीदने अथवा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया जाना था। चूंकि उक्त क्रेडिट का अब तक उपयोग नहीं किया गया है, हमारे विचार में, उपयोग नहीं की गई 1,297.6 मिलियन रुपये की राशि के क्रेडिट को लाभ तथा हानि खाते क्रेडिट नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसके स्थान पर इन क्रेडिट को लाभ एवं हानि खाते में समायोजित कर देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। अतः वर्ष के लिए 101.4 मिलियन रुपये तक की हानि कम दर्शायी गयी तथा वर्ष के अंत तक 1,297.6 मिलियन रुपये की संचित हानि कम दर्शाई गयी और वर्तमान देयताएं 1,297.6 मिलियन रुपये कम दर्शाई गयी।</p> <p>iv. कंपनी ने स्टार एलाइन्स के लिए 415.8 मिलियन रुपये के सदस्यता शुल्क का भुगतान किया। इस संबंध में 227.0 मिलियन रुपये की अतिरिक्त राशि अभी देय है। 415.8 मिलियन रुपये की राशि को अग्रिम के रूप में लेखांकित किया गया है जबकि 642.8 मिलियन रुपये की कुल राशि को व्यय के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए था। अतः वर्ष के लिए 642.8 मिलियन रुपये की हानि कम दर्शाई गई तथा वर्ष के अंत तक इसी सीमा तक संचित हानि कम दर्शाई गई।</p>	<p>मंत्रियों के समूह एवं नागर विमानन मंत्रालय द्वारा की जा रही है। लागत में कमी तथा राजस्व में सुधार करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। कंपनी को आशा है कि इन उपायों में कार्यन्वयन तथा सरकार की इविचटी सहायता से अगले पांच वर्षों में टर्न अराउंड संभव हो जाएगा। एसबीआई कैप्स भी एक वित्तीय पुनर्संरचना योजना लागू करने जा रही है जिसमें कार्यशील पूंजी ऋणों को आवधिक ऋणों में बदला जाएगा तथा पुनर्भुगतान के लिए उचित अवधि की छूट दी जाएगी। इन आवधिक ऋण/रूपे बॉन्ड्स को भारत सरकार की गारंटी प्राप्त हो सकती है जिससे इन ऋणों पर ब्याज दर कम हो जाएगी। जिन दीर्घकालिक ऋणों के लिए दोहरी प्रतिभूतियां प्रदान की जाती थी उनकी समीक्षा की जा रही है ताकि इन प्रतिभूतियों को मुक्त किया जा सके और उन्हें कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए प्रदान किया जा सके जिससे ब्याज लागत कम हो जाएगी। पिछले 12 से 18 माह में प्रबंधन द्वारा किए गए उपायों को टिप्पणी संख्या 32 में दर्शाया गया है जो लेखा टिप्पणियों का एक भाग है। प्रबंधन ने लेखों में मौजूद आस्थगित कर परिसंपत्ति के प्रावधानों की समीक्षा की है तथा भावी कर योग्य लाभ में से उसे समायोजित करने के संबंध में आश्वस्त है तथा इसलिए पिछले वर्षों में निर्धारित किए गए 28,425.2 मिलियन रुपये के आस्थगित कर परिसंपत्ति को रद्द नहीं किया गया है।</p> <p>विमान/इंजन निर्माताओं से प्राप्त निर्माता क्रेडिट (बायर फर्नीशुड इविचपमेंट) बी एफ ई तथा एस एफ ई (सेलर फर्नीशुड इविचपमेंट) विक्रेताओं के लेखांकन के व्यावहारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए कंपनी के लिए एक एकीकृत लेखाकरण नीति तैयार की गई जो महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुच्छेद एफ (ए) में दी गई है।</p> <p>चूंकि इस छूट के संबंध में बीएफई तथा एसएफई विक्रेताओं के साथ पृथक रूप से बातचीत की गई थी अतः यह छूट मुख्यतः नकद रियायतों या क्रेडिट नोट के रूप में प्राप्त की गई है जहां नकद रियायत को भावी इन्वायस या नकद रूप में भुगतान के लिए समायोजित किया जा सकता है वहां क्रेडिट नोट को स्पेयर सपोर्ट के साथ समायोजित किया जा सकता है। कंपनी का यह मामला है कि इन सभी नकद क्रेडिट रियायतों को विमान के पूंजीकरण के वर्ष में ही निर्माताओं के क्रेडिट मानते हुए राजस्व के रूप में सही लेखांकन किया गया है चूंकि यह प्रत्येक विमान की डिलीवरी से संबंधित है तथा आस्थगित नहीं किया गया। निर्माताओं के क्रेडिट का लेखांकन कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखा नीति के अनुरूप है तथा हानि एवं वर्तमान देयता को कम करके नहीं दर्शाया गया है। कंपनी यह भी पुष्टि करती है कि इस क्रेडिट के एक बड़े भाग का उपयोग 31 मार्च, 2010 के बाद की अवधि में कर लिया गया है।</p> <p>स्टार एलाइन्स में शामिल होने के लिए देय कुल शुल्क 10.0 मिलियन यूरो है। 31 मार्च, 2010 तक कंपनी में 6.2 मिलियन यूरो अर्थात् 415.8 मिलियन रुपये का भुगतान कर दिया है तथा 3.8 मिलियन यूरो अर्थात् 227.0 मिलियन रुपये वर्ष 2009-10 के दौरान देय नहीं था। पहले ही भुगतान की जा चुकी 415.8 मिलियन रुपये की राशि को अग्रिम के रूप में लेखांकित किया गया है तथा वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत उसे ऋण एवं अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। 227.0 मिलियन रुपये की शेष राशि वर्ष 2010-11 के दौरान मासिक किस्तों में चुकायी जानी है। प्रबंधन का</p>



क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	<p>वर्तमान परिसंपत्तियां 415.8 मिलियन रुपए अधिक दर्शाई गईं तथा वर्तमान देयताएं 227.0 मिलियन रुपए कम दर्शाई गईं।</p> <p>v. जैसाकि अनुसूची-X टिप्पणी संख्या 19(क) में उल्लेख किया गया है कि प्राप्त तथा देय के पुष्टिकरण एवं उनके मिलान के संबंध में वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों के मिलान / पुष्टिकरण के कारण उत्पन्न समायोजन के प्रभाव पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं अतः वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता।</p> <p>vi. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि उपर्युक्त पैरा 4 (i) से 4 (iv) में हमारी टिप्पणियों के प्रभाव पर विचार करने पर वर्ष में 55,524.4 मिलियन रुपए की रिपोर्ट की हानि के स्थान पर 57,679.6 मिलियन रुपए की हानि होगी। संघित हानि रिपोर्ट की गई 54,890.9 मिलियन रुपए की हानि के स्थान पर 87,837.8 मिलियन रुपए होगी। स्थिर परिसंपत्तियां रिपोर्ट की गई 321,076.1 मिलियन रुपए के बजाए 318,494.8 मिलियन रुपए होगी। वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान रिपोर्ट किए गए 66,396.6 मिलियन रुपए के स्थान पर 67,921.3 मिलियन रुपए होगी। वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम, रिपोर्ट किए गए 54,988.2 मिलियन रुपए के स्थान पर 54,572.4 मिलियन रुपए होगी तथा 28,425.2 मिलियन रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्तियां शून्य होंगी।</p>	<p>यह स्पष्ट मत है कि यह राशि नहीं दी जानी चाहिए थी क्योंकि स्टार एलाइन्स में शामिल होने के संभावित लाभ अभी प्राप्त होने शेष है। कंपनी पीएसएस (यात्री सेवा प्रणाली) कार्यान्वित कर रही है तथा मार्च, 2011 तक एक कोड के प्रचालन शुरू होने की संभावना है। स्टार एलाइन्स में प्रवेश के लिए एयरलाइन में एक कोड होना एक पूर्व शर्त थी। तत्पश्चात् पूर्ण रूप में सदस्य बनने के लिए कंपनी को स्टार एलाइन्स में शामिल होने की कुछ छोटी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा। आशा है कि कंपनी वर्ष 2011 के मध्य तक स्टार एलाइन्स की सदस्य बन जाएगी। सदस्य बनने पर कंपनी को अनेक लाभ प्राप्त होंगे जिनमें विदेशों में लाउज शेयर भरना, स्टार एलायन्स के वाहकों पर पूरे विश्व में निर्बाध संपर्क, एक डायनेमिक फ्रिक्वेंट फ्लायर योजना जिसके तहत यात्रियों को स्टार एलायन्स सदस्य वाहकों पर यात्रा के लिए माइल्स अर्जित होंगे एवं वे उनका उपयोग कर सकेंगे, अपग्रेडेड आई टी प्रणाली तथा अन्य अनेक लाभ सम्मिलित हैं जिनसे आने वाले वर्ष में लगभग 2 से 3 प्रतिशत तक राजस्व में वृद्धि होगी। अतः यह अनुमान लाभ-हानि के मूल सिद्धान्त के तहत स्टार एलाइन्स में सम्मिलित होने के लिए अपेक्षित सदस्यता शुल्क की भरपाई स्टार एलाइन्स का सदस्य बनने के उपरान्त राजस्व प्राप्ति से होने लगेगी।</p> <p>लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्राप्ति तथा अदायगियों का विवरण उपलब्ध कराया गया। पुष्टि के अनुरोध संबंधी पत्र विद्वेषियों तथा अन्य फुटकर देनदारों तथा लेनदारों को भेजे गए थे। कुछ मामलों जहां पार्टियों से शेष के पुष्टिकरण के संबंध में अंतर देखा गया, वहां आवश्यक समायोजन किया जा रहा है तथा यदि कोई समायोजन आवश्यक है, तो वो किया जाएगा।</p> <p>पैरा 4(i) से 4(iv) के हमारे उत्तर के अनुसार, हानि कम करके नहीं दिखाया गया है।</p>
05.	<p>निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है :</p> <p>i. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 38 - राजस्व की गणना तथा अवसूलीय राशि के लिए अप्रावधान के संबंध में है।</p>	<p>प्रबंधन की यह राय है कि चूंकि मामलों पर सिटी सिविल कोर्ट मुम्बई में मुकदमे चल रहे हैं। अतः राजस्व की वसूली की पर्याप्त संभावना है। कुछ पार्टियों के साथ न्यायालय से बाहर किए गए निपटारों से शेष किराएदारों पर पहले ही फाइल किए गए क्षति दावों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। चूंकि मामला न्यायाधीन है। अतः प्रबंधन ने विभिन्न पार्टियों से वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं</p>



क्र. सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	<p>ii. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 14 - 1 अमरीकी डालर के नाममात्र मूल्य पर बोईंग से प्राप्त सिमुलेटर के मूल्यांकन के संबंध में है।</p> <p>iii. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 15(क) - विमानों की डिलीवरी में विलंब होने, जिसका प्रोद्भवन इनकी वर्ष 2011-12 में यथा शीघ्र संभावित डिलीवरी पर निर्भर करता है, के संबंध में परिनिर्धारित नुकसान के दावे के लिए लेखांकन के संबंध में है।</p> <p>iv. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 7 - 51,295.1 मिलियन रुपये की राशि तथा संचित हानि और वसंत विहार आवासीय कालोनी में अचल संपत्ति जो लीज डीड के बहाली के अधीन है, पर परिणामी प्रभाव के संबंध में है।</p> <p>v. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 33(घ) - हैडलिंग एवं सुरक्षा सेवा राजस्व की गणना उद्धत दरों के आधार पर की गई है जिनके समझौतों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है, से संबंधित है।</p> <p>vi. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 33(ग) - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ राजस्व की सहभागिता के संबंध में है, जिसका आधार अभी निर्धारित किया जाना है।</p> <p>vii. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 4 - शेयर प्रमाणपत्र जारी न किए जाने के संबंध में है जिसमें स्टॉक इयूटी से छूट प्राप्त करने के आवेदन का निपटान किया जाना लंबित है।</p> <p>viii. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 15(ख) - बोईंग विमान कीटी-ईएसएम जिसे आग से क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्राउंड कर दिया गया था, की प्रचालन लीज समाप्त करने पर किए गए क्षतिपूर्ति भुगतान के संबंध में हुए असाधारण व्यय के संबंध में है।</p> <p>ix. अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 8 - वर्ष के दौरान बाबा खड़क सिंह मार्ग, दिल्ली में स्थित 1500 वर्ग मीटर की भूमि को डीएमआरसी को सौंपे जाने के संबंध में है। इसके प्रभाव को वित्तीय विवरणों में नहीं दिया गया है क्योंकि अभी डीएमआरसी के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाना लंबित है। 1500 वर्ग मीटर की भूमि को सौंपे जाने के साथ-साथ इस संपत्ति के संयुक्त विक्रस के लिए समग्र शर्तों एवं निबंधन के विवरण सहित समझौता ज्ञापन पर अभी डीएमआरसी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है।</p>	<p>समझा। यदि भविष्य में कोई निपटान होता है तो उसे निपटारे के वर्ष में लेखांकित किया जाएगा।</p> <p>दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 के विमान खरीद समझौते तथा मार्च, 2009 के संशोधन पत्र के तहत बोईंग उक्त समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए एक 777 सिमुलेटर के स्वामित्व का अंतरण कंपनी को करने के लिए सहमत हो गया। कंपनी ने 644.3 मिलियन रुपये को सिमुलेटर के उचित मूल्य के रूप में लिया तथा पूंजी आरक्षित में इस राशि को क्रेडिट करके उसे पूंजीगत किया। सिमुलेटर पर प्रदान किए गए मूल्यहास को पूंजी आरक्षित में समायोजित किया जाएगा। कंपनी का इन खरीद समझौतों के तहत अर्जित सभी ऐसी परिसंपत्तियों के लिए भविष्य में ऐसा ही निरूपण करने का प्रस्ताव है।</p> <p>निर्धारित क्षति का लेखांकन सर्वाधिक रुढ़िवादी आधार पर किया जाता है। क्षतिपूर्ति पैकेज के लिए अन्तरिम लेखांकन किया जाता है क्योंकि विक्रेता द्वारा ऑफर किए गए क्षतिपूर्ति पैकेज पर आगे विचार-विमर्श एवं बातचीत की जा रही है। लेखों के लिए टिप्पणियों में इसका उपयुक्त खुलासा किया गया है।</p> <p>पूंजी आरक्षित से सामान्य आरक्षित में अंतरण के लिए लेखा टिप्पणियों में आवश्यक खुलासा किया गया है। आवासीय कालोनी, वसन्त विहार, नई दिल्ली के संपत्ति अधिकारों के नियमन एवं बहाली के लिए नियमित रूप से प्रभावी फॉलो अप किया जा रहा है। इस मामले का उचित खुलासा लेखा टिप्पणी में किया गया है।</p> <p>इसका पर्याप्त खुलासा लेखा टिप्पणी में किया गया है।</p> <p>पूर्व एआई तथा एएआई के बी राजस्व बांटने संबंधी व्यवस्था और नैसिल द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के साथ की गई अनुवर्ती करवाई का पर्याप्त खुलासा लेखा टिप्पणी में किया गया है।</p> <p>इसके प्रभाव का पर्याप्त खुलासा लेख: टिप्पणी में किया गया है।</p> <p>इसके प्रभाव का पर्याप्त खुलासा लेखा टिप्पणी में किया गया है।</p> <p>इसके प्रभाव का पर्याप्त खुलासा लेखा टिप्पणी में किया गया है।</p>



क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
x.	अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 29 - एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड तथा होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक सहायक कंपनियों द्वारा उठाई गई हानि का संज्ञान न होने के संबंध में है तथा परिणामस्वरूप, इसमें निवेश के मूल्य में हुई कमी का प्रावधान नहीं किया गया है।	कंपनी की संघित हानि से संबंधित सूचना सलग्न विवरण में दी गई है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के तहत अपेक्षित है। पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों को हुई हानि को नहीं दर्शाने का खुलासा लेखा टिप्पणियों में किया गया है।
xi.	अनुसूची-X की टिप्पणी संख्या 35(क) - दिनांक 24.05.2010 से बढ़ी हुई ग्रेच्यूटी सीमा के मद्देनजर वर्ष के दौरान ग्रेच्यूटी की बढ़ी हुई देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के संबंध में है।	बीमा प्रबंधकों से प्राप्त बीमाकिक मूल्यांकन के संदर्भ में कंपनी उपदान प्रदान करती है। सरकार ने दिनांक 18 मई, 2010 की अधिसूचना के माध्यम से उपदान के भुगतान अधिनियम 1974 में संशोधन किया है जिसमें मई 2010 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली उपदान राशि की सीमा 3.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। चूंकि तुलन पत्र तैयार होने के बाद यह लागू हुआ। अतः हमारी धारणा है कि 31 मार्च, 2010 तक किसी अतिरिक्त देयता के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। अतः यह तुलन पत्र की तिथि से आगे की स्थिति को नहीं दर्शाता है। तुलन पत्र की तिथि के पश्चात् घटित घटनाओं के लिए परिसंपत्तियों एवं देयताओं को समायोजित करना अपेक्षित है क्योंकि ये घटनाएं ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रदान करती हैं जिसमें तुलन पत्र की अवधि पर मौजूदा राशियों के निर्धारण को आर्थिक रूप से प्रभावित करती हैं। चूंकि यह स्थिति तुलन पत्र की अवधि को मौजूद नहीं थी। अतः प्रबंधन का मानना है कि कोई अतिरिक्त प्रावधान करना अपेक्षित नहीं है।



दिनांक 15 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ (3) में उल्लिखित ।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
1 क.	<p>कंपनी ने रोटेबल्स को छोड़कर, स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रात्मक विवरण एवं उनके स्थान सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखे हैं। कंपनी ने कुछ स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अभी तक अपडेट नहीं किया है तथा हमें सूचित किया गया है कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है। कुछ स्थानों पर एयरक्राफ्ट रोटेबल्स तथा अन्य परिसंपत्तियों के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जा रहा है।</p>	<p>एयरक्राफ्ट रोटेबल्स के लिए विशिष्ट एवं मात्रात्मक विवरण वर्तमान व्यवस्था में उपलब्ध है। सभी स्थानों पर परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के अपडेशन सहित स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में आवश्यक अपडेशन किया जा रहा है। 01 अप्रैल, 2011 से लेखांकन पैकेजों के एसएपी ईआरपी में अंतरित होने के साथ ही नए ईआरपी सिस्टम में शेष, सभी परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को दर्शाएगा।</p>
ख	<p>कंपनी बारी-बारी से स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन हो जाता है जोकि हमारी राय में पर्याप्त है। वर्ष के दौरान प्रबंधन ने कुछ स्थानों पर ही प्रत्यक्ष सत्यापन कराया है। वित्तीय रिकार्डों तथा प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों के बीच पूर्ण मिलान न होने के कारण हम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि प्रत्यक्ष सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि तो नहीं है।</p>	<p>इस लेखा पुस्तिकाओं तथा अचल परिसंपत्तियों की वास्तविक इन्वेंटरी के बीच कोई आर्थिक अंतर नहीं पाया गया है। जब कभी कोई अंतर देखा जाता है तो उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण कर उसे लेखा पुस्तिकाओं में समायोजित किया जाता है।</p>
2 ख.	<p>हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, गोइंग कन्सर्न मान्यता के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है। प्रबंधन द्वारा निरंतर आधार पर इन्वेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्यप्रणाली उपयुक्त है। तथापि, कंपनी के आकर एवं उसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए, इसकी फिक्सेंसी को बढ़ाया जाना चाहिए। कंपनी ने बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इन्वेंटरी के संबंध में पुष्टिप्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए हैं।</p>	<p>लेखा परीक्षा टिप्पणियों को कार्रवाई हेतु नोट कर लिया गया है। कंपनी एक एमआरओ (अनुरक्षण मरम्मत ओवरहॉल) सॉफ्टवेयर सिस्टम कार्यान्वित कर रही है जिससे बाहरी पार्टियों के पास पड़ी इन्वेंटरी पर ध्यान रखा जाएगा तथा वर्ष के अंत में पुष्टि मांगी जाएगी।</p>
ग.	<p>इन्वेंटरी रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी इन्वेंटरी का उचित रिकार्ड रख रही है सिवाए कुछ क्षेत्रों एवं स्टेशनों के जहां ई.आर.पी. पैकेज से संभावित परिणाम पाने के लिए प्रशिक्षण की कमी है तथा जहां क्षेत्रों एवं स्टेशनों में लोगों को प्रचालन कार्यों में लगाकर (जहां वास्तविक लेन-देन होता है) आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्राप्तियों, इश्यु, स्टॉक से संबंधित अपेक्षित इन्पुट्स की अनुपलब्धता के कारण लेखा परीक्षा का कार्य सीमित हुआ है।</p> <p>बही रिकार्डों की तुलना में इन्वेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर पाई गई त्रुटियों को संबंधित विभाग से छानबीन करने के उपरांत लेखा खातों में उचित रूप में दिखाया गया है।</p>	<p>01 अप्रैल, 2011 से एक नया एसएपी-ईआरपी आरंभ किया जा रहा है जिससे विभिन्न स्टेशनों पर उचित प्रशिक्षण के माध्यम से इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।</p>
4.	<p>हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केवल प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रीकृत रूप से किए जाने वाले अत्यधिक लेखांकन कार्यों के संबंध में सम्पूर्ण नियंत्रण (क्षेत्रों तथा स्टेशन स्तर पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता पर हमारी टिप्पणी किए बगैर) को छोड़कर इन्वेंटरी, स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद एवं माल एवं सेवाओं के विक्रय के लिए आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली कंपनी के आकर एवं इसके कार्य की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त है। कंपनी, इन्वेंटरी, फुटकर देनदार, स्टाफ अग्रिमों एवं कुछ मध्यस्थ लेखों आदि के संबंध में उप लेजरों का सामान्य लेजर से मिलान कर रही है।</p>	<p>कंपनी एक एमआरओ (अनुरक्षण मरम्मत ओवरहॉल) सॉफ्टवेयर सिस्टम कार्यान्वित कर रही है जिससे विभिन्न स्तरों पर इन्वेंटरी की ऑन लाइन ट्रैकिंग संभव हो पाएगी तथा उप लेजरों का सामान्य लेजर से मिलान संभव हो जाएगा। यह ईआरपी-एसएपी सिस्टम में एकीकृत हो जाएगा जिसे सम्पूर्ण संगठन में आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस सिस्टम से बेस स्तर पर विभिन्न व्ययों, प्राप्तियों तथा देयों का ऑनलाइन मिलान हो जाएगा तथा विभिन्न स्तरों पर बेहतर आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित होगा।</p>



क्र.सं.	लेखा परीक्षा टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
7.	<p>हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के आकार तथा कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित है। वर्ष के दौरान किए गए अत्यधिक प्रचालनों के संबंध में बहुत कम आंतरिक लेखा परीक्षा की गई है। समय पर निष्पादन, रिपोर्ट करने, अनुपालन, प्रमुख ऑन लाइन स्टेशनों तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय तक कार्यक्षेत्र में विस्तार करने, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने तथा मुख्यालय में समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए इसके आगे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।</p>	<p>आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग सभी गतिविधियों तथा उनके सत्यापन के लिए व्यापक न्यूनतम लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार करता है। एमएपी (मिनिमम ऑडिट प्रोग्राम) में आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र पर्याप्त रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अनुसरण नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय की आंतरिक नैरो बॉडी प्रचालनों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के स्तरों में वृद्धि करने के प्रतिरिक्त वाइड बॉडी प्रचालनों को सम्मिलित करने के लिए लेखा परीक्षा इकाईयों द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया। तथापि आंतरिक लेखा परीक्षा को अतिरिक्त लेखा परीक्षकों के दृष्टिकोण के अनुसार और अधिक मजबूत बनाया जाएगा जिससे ये कंपनी के व्यापार के आकार एवं प्रकृति के समरूप हो।</p>
9(क).	<p>हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा खातों की हमारी जांच के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के समक्ष जमा कराए हैं, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :</p> <ul style="list-style-type: none">विदेशी स्टेशनों के संबंध में चूंकि रिक्वाइर्डेड स्टेशनों में रखा जाता है अतः हम इस विषय में टिप्पणी देने में असमर्थ हैं कि देयों को समय पर जमा कराया जाता है अथवा नहीं।पंजीकरण संख्या न होने के कारण कॉन्ट्रैक्टरों/सब कॉन्ट्रैक्टरों के कर्मचारियों के कुल 37.6 मिलियन रूपए के भविष्य निधि देय को अलग बैंक खाते में रखा गया है।कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से झोत पर कर कटौती करती है तथा इसे जमा करती है। तथापि, कंपनी ने कुछ स्थानों पर वर्ष के अंत में देय झोत पर कर कटौती का मिलान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में किए गए कुछ प्रावधानों पर कर की कटौती नहीं की है। <p>जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिलान न किए जाने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 31 मार्च, 2010 को उपर्युक्त के संबंध में अन्य किन्हीं अविवादित देयों का भुगतान किया जाना शेष है जो देय तिथि से छः माह की अवधि से अधिक समय से बकाया हों।</p>	<p>कंपनी ने विदेश स्थित स्टेशनों पर स्थानीय कानूनों के अनुसार सांविधिक देयों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है।</p> <p>ठेके पर मजदूरी संबंधी मामला न्यायाधीन होने के ठेकेदारों / उपठेकेदारों के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य देय राशि को अलग बैंक खाते में रखा जाता है।</p> <p>कंपनी ने सभी निश्चय/निर्धारण योग्य देयताओं हेतु टीडीएस प्रावधानों को लागू किया है और उन्हें संबंधित प्राधिकरण में जमा कराया है।</p> <p>जहां तक हमारी जानकारी व अनुमान है, ऐसी किसी भी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाना है जो देय तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया हो।</p>



31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(रुपए मिलियन में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2010 को		31 मार्च, 2009 को	
I. निधियों के स्रोत :					
शेयर धारकों की निधि :					
क) पूंजी	क	9,450.0		1,450.0	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	ख	624.8		633.5	
			10,074.8		2,083.5
ऋण निधियां :					
क) रक्षित ऋण	ग	65,907.1		23,659.5	
ख) अरक्षित ऋण	घ	184,761.1		168,764.9	
			250,668.2		192,424.4
भविष्य की लीज़ बाध्यताएं	ङ		133,559.6		116,887.5
कुल			394,302.6		311,395.4
II. निधियों की प्रायोज्यता :					
स्थायी परिसंपत्तियां :	च				
क) सकल पूंजी		328,410.5		243,294.0	
घटाकर : मूल्यहास		31,990.6		18,380.5	
ख) निवल पूंजी		296,419.9		224,913.5	
ग) पूर्ण नहीं हुए पूंजी कार्य		24,656.2		50,113.7	
			321,076.1		275,027.2
निवेश :	छ		1,219.3		1,231.8
आस्थागित कर परिसंपत्तियां (निवल) :			28,425.2		28,425.2
विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुएं			99.5		1,528.0
परिवर्तन अंतर लेखा					
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम :					
क) इन्वेंटरीज	ज	8,677.8		9,642.1	
ख) विविध देनदार	झ	25,791.1		24,731.0	
ग) नकदी एवं बैंको में जमा शेष	ञ	5,284.7		11,396.4	
घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	ट	768.1		561.6	
ड) ऋण एवं अग्रिम	ठ	14,466.5		11,175.9	
			54,988.2		57,507.0
घटाकर : चालू देयताएं एवं प्रावधान	ड				
क) चालू देयताएं		55,466.7		42,282.9	
ख) प्रावधान		10,929.9		10,040.9	
			66,396.6		52,323.8
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां			(11,408.4)		5,183.2
लाभ तथा हानि लेखा	ढ		54,890.9		-
कुल			394,302.6		311,395.4
महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियां	ब				
लेखों पर टिप्पणियां	भ				

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अविभाज्य भाग हैं। यह वही तुलन पत्र है जो इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट से संदर्भित है।

कृते तथा की ओर से
पी.के. घोषड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

कृते तथा की ओर से
ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

कृते तथा की ओर से
छजेद एंड दोशी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

बोर्ड के लिए तथा की ओर से
हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
प्रशांत सुकुल
निदेशक

हस्ता./-
पी.के. घोषड़ा
पार्टनर
सदस्यता सं. 6094

हस्ता./-
वी. राजारमन
पार्टनर
सदस्यता सं. 02705

हस्ता./-
किरण के. दफ्तरी
पार्टनर
सदस्यता सं. 10279

हस्ता./-
एस. चन्द्रशेखर
निदेशक - वित्त

हस्ता./-
एस. वैकट
कार्यपालक निदेशक -
वित्त एवं कम्पनी
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 नवम्बर, 2010